भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3136
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन से जुड़े परिवार

†3136. डॉ. मल्लू रविः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2025 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत नल जल आपूर्ति से जुड़ने वाले नए ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र ने जेजेएम के कार्यान्वयन में देरी या बाधाओं की सूचना दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय में, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 04.08.2025 तक, लगभग 12.45 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें वर्ष 2025 में अब तक प्रदान किए गए 28.15 लाख कनेक्शन शामिल हैं। इस प्रकार, 04.08.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.68 करोड़ (80.99%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख) और (ग): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन राज्य करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। राज्यों ने सूचित किया है कि जल संकटग्रस्त, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-

जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव करने संबंधी तकनीकी क्षमता की कमी, वैधानिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इनका समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन; राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना तथा कार्यक्रम प्रबंधन के लिए तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु *"नल जल मित्र"* कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

मिशन के अंतर्गत, राज्यों को अन्य स्कीमों जैसे मनरेगा, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआई को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के साथ तालमेल स्थापित करते हुए स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग करने, आदि की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान देश के 256 जल संकट वाले जिलों में लोगों की भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2019 में शुरू किया गया था। 2021 में, देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" विषय के साथ "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) शुरू किया गया था। जेएसए: सीटीआर 2021 से एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। जेएसए: सीटीआर 2023 को "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ 04.03.2023 से 30.11.2023 तक पूरे देश में कार्यान्वित किया गया था। इसी प्रकार, 2024 में "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय और 2025 में जेएसए:सीटीआर को जल संरक्षण के क्षेत्र में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए *"जल संरक्षण के लिए जन कार्रवाई - गहन सामुदायिक सहबद्धता की ओर"* विषय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पानी की हर बूंद के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संपूर्ण समाज और पूर्ण सरकार की अवधारणा का अनुपालन करते हुए, "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल को भी जेएसए: सीटीआर अभियान के भाग के रूप में शुरू किया गया है।

*****